

# कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/निप्र/डी-१/22709/मैन/प्र.वा./2020/406  
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं  
पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी  
समग्र शिक्षा अभियान ।

दिनांक : 11.02.2020

**विषय:-** दिनांक : 17 से 22 फरवरी, 2020 की अवधि में आयोज्य सत्रः 2019–20 की दो दिवसीय सत्रान्त संस्था प्रधान वाक्‌पीठ के प्रभावी एवं सार्थक आयोजन बाबत् ।

**प्रसंग :-** समसंख्यक निर्देश पत्र दिनांक : 03.01.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र में प्रदत्त निर्देशानुरूप सत्रान्त संस्था प्रधान वाक्‌पीठ का आयोजन दिनांक : 17 से 22 फरवरी, 2020 की अवधि के दौरान दो दिवसों में ब्लॉक स्तर पर माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु पृथक्-पृथक किया जाना है। संस्था प्रधान वाक्‌पीठ जिला स्तर पर शैक्षिक एवं प्रशासनिक विषयों पर चिन्तन, मनन, विचार व्यक्त करने तथा तदनुसार प्राप्त नवाचारों एवं अनुभूत शैक्षिक-प्रशासनिक अनुभवों के आदान-प्रदान उपरान्त ज्वलंत शैक्षिक मुद्दों के सार्थक एवं सकारात्मक प्रबन्धन हेतु संस्था प्रधानों को तैयार करने का एक सुदृढ़ माध्यम एवं प्रभावशाली मंच है। उक्त क्रम में सत्रान्त की संस्था प्रधान वाक्‌पीठ के एजेण्डे में स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण मुद्दों एवं विषयों के साथ विभिन्न ज्वलंत एवं सम-सामयिक शैक्षिक विषयों/मुद्दों पर सार्थक चर्चा/विशेषज्ञ वार्ता हेतु अग्रांकित बिन्दुओं एवं निर्देशित कार्यवाही को आवश्यक रूप से शामिल किया जाना सुनिश्चित करें।

- 1. संस्था प्रधान की भागीदारी :-** ब्लॉक स्तर पर आयोजित उक्त वाक्‌पीठ में समस्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधान स्वयं भाग लेंगे। संस्था प्रधान का पद रिक्त होने की स्थिति में प्रभारी/कार्यवाहक संस्था प्रधान द्वारा भाग लिया जाएगा। अपरिहार्य स्थिति में संस्था प्रधान द्वारा सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही अपने प्रतिनिधि को भागीदारी हेतु नामित किया जा सकेगा।
- 2. बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन :-** इस कार्यालय द्वारा बोर्ड परीक्षा परिणाम में संख्यात्मक वृद्धि के साथ ही गुणात्मक उन्नयन के लिए समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कियान्वित हेतु निर्मित “बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन कार्य योजना – 2020” की समुचित पालना बाबत् विस्तृत निर्देश प्रदान किए गए हैं। संस्था प्रधान वाक्‌पीठ के दौरान एक सत्र में उक्त कार्य योजना में निर्देशित प्री-बोर्ड परीक्षा में प्रदर्शित कक्षा – 10 एवं 12 के विद्यार्थियों के शैक्षिक/अधिगम लब्धि में परिणाममूलक उन्नयन हेतु सार्थक एवं प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में वार्ता/परिचर्चा का आयोजन एवं विगत वर्षों में संख्यात्मक एवं गुणात्मक रूप से उल्लेखनीय बोर्ड परीक्षा परिणाम के लिए चर्चित/बहु-प्रशंसित संस्था प्रधान/विषयाध्यापक के अनुभव/सुझाव/सक्सैस स्टोरी के रूप में समस्त संस्था प्रधानों से साझा करवाए जाने हेतु समुचित कार्यवाही सम्पादित करावें।
- 3. ज्ञान संकल्प पोर्टल एवं मुख्यमंत्री विद्यादान कोष :-** राज्य सरकार द्वारा राजकीय विद्यालयों को विभिन्न औद्योगिक संस्थानों एवं दान दाताओं/जन समुदाय से सहयोग के लिए “ज्ञान संकल्प पोर्टल” की स्थापना की गई है। वर्तमान में राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बोर्ड परीक्षा से पूर्व आयोज्य वार्षिकोत्सव एवं एल्यूमनी मीट (सखा संगम) के दौरान उक्त बाबत् विभागीय निर्देशानुरूप समस्त संस्था प्रधानों को जन सहभागिता द्वारा विद्यालय विकास के सम्बन्ध में समुचित अवगति एवं उक्तानुरूप सक्रिय भागीदारी हेतु वाक्‌पीठ के दौरान विशेषज्ञ वार्ता/चर्चा आयोजित करवाई जाए।
- 4. छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजनाएँ :-** विभिन्न राजकीय विद्यालयों में वर्ष : 2017–18 एवं 2018–19 में पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु पात्र विद्यार्थियों का भुगतान निदेशालय द्वारा सम्बन्धित जिशिअ(मुख्यालय)-माध्यमिक को किए जाने के बावजूद ऑन लाईन आवेदन में त्रुटिपूर्ण नाम एवं भामाशाह आई.डी. के अंकन के कारण वितरित नहीं हो पा रहे हैं। निदेशालय द्वारा ऐसे समस्त वंचित

विद्यार्थियों का विवरण सम्बन्धित जिशिअ को प्रेषित किया जा चुका है। वाक्पीठ के दौरान संस्था प्रधानों को ऐसे समस्त विद्यार्थियों के त्रिटियुक्त नाम एवं भामाशाह आई.डी. के शुद्धि करण तथा **संशोधन** हेतु अपनाई जाने वाली कियाविधि के सम्बन्ध में किसी विज्ञ एवं अनुभवी अधिकारी/ कार्मिक की वार्ता/ व्याख्यान द्वारा जिज्ञासा/ समस्या निवारण करवाते हुए इसी माह में वांछित कार्य निष्पादन की सुनिश्चितता करावें, जिससे कि इसी वित्तीय वर्ष में सम्बन्धित जिशिअ द्वारा वंचित, परन्तु पात्र आवेदक विद्यार्थियों को डी.बी.टी. द्वारा भुगतान किया जा सके तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषण की कार्यवाही सम्पादित की जा सके।

5. **बोर्ड परीक्षा प्रबन्धन** :—माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोज्य माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक परीक्षा इस वर्ष 05 मार्च – 2020 से 03 अप्रैल – 2020 की अवधि के दौरान आयोजित की जाएगी। जिला/ ब्लॉक क्षेत्राधिकार में उक्त परीक्षा के समुचित एवं निर्विघ्न संचालन हेतु बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्देशानुरूप वीडियोग्राफी/ सीसी टीवी सर्विलांस सिस्टम के पारदर्शितापूर्ण उपयोग तथा परीक्षा आयोजन हेतु केन्द्राधीक्षकों द्वारा विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बिन्दुओं पर पूर्ण प्रशिक्षित, अनुभवी एवं विज्ञ जन की वार्ता आवश्यक रूप से आयोजित करवाई जाए।
6. **अनुपयोगी समान निस्तारण** :— इस कार्यालय द्वारा समस्त विद्यालयों में अनुपयोगी/ नाकारा/ बेशी सामग्री निस्तारण हेतु वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व वांछित कार्यवाही सम्पादित कर नीलामी द्वारा निस्तारण किए जाने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसकी कियान्विति समस्त विद्यालयों द्वारा आवश्यक रूप से की जानी है। उक्त बाबत् निस्तारण सम्बन्धी कार्यवाही निष्पादन बाबत् विभिन्न प्रकार की जिज्ञासाओं/ शंकाओं के समाधान एवं मार्गदर्शनार्थ विज्ञ लेखाधिकारी/ लेखाकर्मी की वार्ता/ प्रश्नोत्तर सत्र का आयोजन करवाया जाना सुनिश्चित करें।
7. **एकीकृत शाला दर्पण पोर्टल** :— वर्तमान में शाला दर्पण एवं शाला दर्शन के समन्वयन उपरान्त एकीकृत पोर्टल के उपयोग/ आवश्यक प्रविष्टियों एवं विभिन्न मॉड्यूल में वांछित सूचनाओं की त्वरित एवं परिशुद्ध प्रविष्टि की सम्यक् अवगति संस्था प्रधानों को प्रदान किए जाने हेतु सम्बन्धित विज्ञजन की वार्ता/ परिचर्चा आयोजित करवाएं तथा हाल ही में शाला दर्पण पोर्टल पर प्रारम्भ किए गए विभिन्न नवीन मॉड्यूल यथा – स्थाईकरण-ए.सी.पी. मॉड्यूल/ ऑन लाईन उपस्थिति इत्यादि के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार की जिज्ञासाओं/ शंकाओं के समाधान एवं मार्गदर्शनार्थ विज्ञ अधिकारी/ कार्मिक की वार्ता/ प्रश्नोत्तर सत्र का आयोजन करवाया जाना सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर अन्य सम-सामयिक महत्वपूर्ण मुददों एवं विषयों पर भी वाक्पीठ में आवश्यकतानुसार वर्धा/ वार्ता आयोजित करवाई जा सकती है।

(हिमांशु गुप्ता)  
आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

**प्रतिलिपि :** निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
4. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
5. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को संभाग परिक्षेत्र में प्रभावी प्रबोधन एवं समुचित पर्यवेक्षण हेतु।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु।
7. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)-माध्यमिक।
9. समस्त संस्था प्रधान— माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालय।
10. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
11. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)